सं०सं०–9/आ0–09–17/2022
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 कौशल किशोर प्रसाद, सिविल सर्जन, किशनगंज** के पदस्थापन काल में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–3020/सी0 दिनांक–06.12.2022 द्वारा सक्षम प्राधिकार से बिना अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक सेंटर को निबंधित करने एवं नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने, बाह्य सेवा प्रदाता के चयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब करने, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा अनुदेशित प्रावधानो के अधीन संविदागत कर्मियों का भविष्य निधि राशि की कटौती नही करने, अनुशासनहीन कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा0 प्रसाद के विरूद्ध अनुबंध मे वर्णित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के अधीन **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा0 प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–17/2022(स्वा0)......1290(9)/ **पटना, दिनांक :**......12·12·24......

प्रतिलिपिः– आरोप–पत्र/पूरक आरोप–पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपिः–आरोप–पत्र/पूरक आरोप–पत्र सहित एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 कौशल किशोर प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, किशनगंज वर्त्तमान पता–हरिश्चन्द तालाब, पोस्टमार्टम रोड, डाकघर+थाना–नवादा, जिला–नवादा पिन कोड–805110 को आरोप–पत्र/पूरक आरोप–पत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/12/2024
सरकार के अवर सचिव।